



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271421
CG-DL-E-30032026-271421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1588]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1588]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1653(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए ‘कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड’ (पैन: AAATK1305J), (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” से संदर्भित किया गया है), कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 1966 का 18) के अंतर्गत गठित एक बोर्ड, को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्य से कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 1966 का 18) के तहत स्थापित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 41/2026 फा. सं.300195/54/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/ आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।